भारतीय दूरसंचार विनियामक प्राधिकरण

अधिसूचना

नई दिल्ली, 1 दिसम्बर, 2004

सं. 1–29/2004–बी एंड सीएस.– भारतीय दूरसंचार विनियामक प्राधिकरण अधिनियम, 1997 की धारा 2 के खण्ड (के) के प्रावधानों तथा धारा 11 की उपधारा (1) के खंड (डी) के अंतर्गत केन्द्र सरकार द्वारा फाइल संख्या 13–1/2004– आरईएसटीजी से निर्गत दिनाँक 9.1.2004 की अधिसूचना संख्या 39 [एस.ओ.सं. 44 (ई) तथा 45 (ई)] के साथ पठित भारतीय दूरसंचार विनियामक प्राधिकरण अधिनियम, 1997 की धारा 11 की उपधारा (1) के खण्ड (बी) के पैरा (ii), (iii) तथा (iv) तथा, उपधारा (2) के अंतर्गत प्रदत्त भाक्तियों का प्रयोग कर, भारतीय दूरसंचार विनियामक प्राधिकरण एतदद्वारा निम्नलिखित आदे ा जारी करता है :

1. **संक्षिप्त नाम, विस्तार तथा प्रारंभ :**

(i) यह आदे ा दूरसंचार (प्रसारण तथा केबल) सेवाएं (दूसरा) टैरिफ (दूसरा सं ाोधन) आदे ा, 2004 (2004 का 8) कहा जाएगा।

(ii) यह आदे ा संपूर्ण भारत में लागू होगा।

(iii) यह आदे ा 1.1.2005 से प्रभावी होगा।

2. **'टैरिफ'** भीर्श के अंतर्गत पैरा 3 में अंतिम दो लाइनों में तथा दूरसंचार (प्रसारण तथा केबल) सेवाएं (दूसरा) टैरिफ आदे ा, 2004 (2004 का 6) के इसी पैरा के पहले उपबंध (Proviso) से पहले दिया गया वाक्यां ा "26 दिसम्बर, 2003 को मौजूद दर अधिकतम सीमा होगी" के स्थान पर "26.12.2003 को मौजूद दर जमा 7% अधिकतम सीमा होगी", प्रतिस्थापित किया जाए।

3. **व्याख्यात्मक ज्ञापन**

इस आदे ा के साथ इस आदे ा को जारी करने का व्याख्यात्मक ज्ञापन संलग्न है।

डा0 हर्ष वर्धन सिंह, सचिव एवं प्रधान सलाहकार

[विज्ञापन III/IV/142/2004–असा.]

व्याख्यात्मक ज्ञापन

1. भारतीय दूरसंचार विनियामक प्राधिकरण (ट्राई) ने टीटीओ (2004 का 6) के माध्यम से :

(क) केबल सब्सक्राइबर द्वारा केबल ऑपरेटर,

(ख) केबल ऑपरेटर द्वारा मल्टी सिस्टम ऑपरेटर/ब्राडकास्टर (उनकी प्राधिकृत वितरण एजेंसियों सहित) और

(ग) मल्टी सिस्टम ऑपरेटर द्वारा ब्राडकास्टर (उनकी प्राधिकृत वितरण एजेंसियों सहित) को देय प्रभार, कर छोड़कर निर्धारित किया है।

फ्री टू एयर तथा पे चैनल दोनों के लिए 26 दिसम्बर, 2003 को मौजूद दर ही अधिकतम सीमा होगी। उक्त टैरिफ आदे ा में यह प्रावधान भी किया गया है कि यदि कोई नया पे चैनल, जिसे 26.12.2003 के बाद भाुरू किया जाता है अथवा कोई चैनल जो 26.12.2003 को फ्री टू एयर चैनल था और जिसे बाद में 'पे चैनल' में बदल दिया जाता है तो यह अधिकतम सीमा बढ़ाई जा सकती है, परन्तु इसके लिए भार्त यह है कि उनकी पे ाक ा स्टैंड अलोन आधार पर की जाए। अधिकतम सीमा का बढ़ाया जाना नए पे चैनलों की दरों तक ही सीमित होगा। नए पे चैनल तथा कन्वर्टेड एफटीपी चैनलों की दर इसी प्रकार के चैनलों के लिए 26.12.2003 को उपलब्ध दर के समान ही रहेगी। इस टैरिफ आदे ा में यह भी व्यवस्था थी कि यदि कोई ब्राडकास्टर/एमएसओ/केबल ऑपरेटर अपने पे चैनलों की संख्या 26.12.2003 को दिखाए जाने वाले पे चैनलों की संख्या से कम करता है तो इसी सिद्धांत के अनुसार अधिकतम सीमा घटाई जाए।

2. जैसा कि ऊपर उल्लेख किया गया है टैरिफ के संबंध में विनियामक फ्रेमवर्क संसूचित करते हुए टीवी चैनलों के ब्राडकास्टिंग तथा वितरण के मुद्दों से संबंधित सिफारि ाों (1 अक्टूबर, 2004 को सरकार को भेजी गई) में यह भी उल्लेख किया गया था कि मुद्रास्फीति के समायोजन के लिए अधिकतम सीमा की आवधिक समीक्षा की जाएगी और यह भी कि अगली समीक्षा नवम्बर, 2004 में की जाएगी ताकि नई दरें 26.12.2004 से लागू की जा सकें।

3. तदनुसार समायोजित दरों के निर्धारण की कार्रवाई की गई। इस प्रयोजन के लिए थोक मूल्य सूचकांक (Wholesale Price Index (WPI)) का उपयोग किया गया। इस सूचकांक के लिए

6.11.2004 तक के आंकड़े उपलब्ध थे। ग्राहक मूल्य सूचकांक के आंकड़ों का उपयोग नहीं किया गया है, क्योंकि इनके नवीनतम आंकड़े उपलब्ध नहीं थे। साथ ही यह भी उल्लेखनीय है कि ये एक नि चत विनिर्दिश्ट पदार्थों की खपत से संबंधित होते हैं। अतः इस प्रयोजन के लिए डब्ल्यूपीआई ज्यादा उपयुक्त होगा। दरों को बढ़ाने की अनुमति देने का निर्णय लेते समय प्राधिकरण ने 30.10.2004 के आंकड़ों का इस्तेमाल किया है, उस तिथि को मुद्रास्फीति की दर 7.06% थी। यद्यपि बाद में यह दर बढ़कर 7.64% हो गई, परन्तु यह स्पश्ट नहीं है कि क्या यह रूख चालू माह के दौरान भी जारी रहेगा या नहीं – 13.11.2004 की स्थिति के अनुसार इसका नवीनतम आंकड़ा 7.34% था। अतः सुविधा तथा सरलता के लिए वृद्धि 7% की गई है।

4. अतः मुद्रास्फीति, जिसे 7% आंका गया है, को समायोजित करने के लिए इस सं ोधित आदे । को जारी करने का निर्णय लिया गया है। यह सं ोधित आदे । 1.1.2005 से प्रभावी होगा। इस प्रकार नई दर उपभोक्ताओं, केबल ऑपरेटरों, मल्टीसिस्टम ऑपरेटरों द्वारा जनवरी, 2005 के लिए किए जाने वाले भुगतान से लागू होगी । 7% की वृद्धि उन प्रभारों, कर को छोड़कर, पर लागू होगा जो 26.12.2003 को देय थे। इस प्रकार यदि 26.12.2003 को 220 रू0/– प्रतिमाह भुगतान किया जाता था, जिसमें 20 रू0 का भुगतान था, तो 7% की वृद्धि 200 रू0 पर देय होगी और बेसिक प्रभारों में, कर को छोड़कर, अधिकतम अनुमेय वृद्धि 14 रू0 प्रतिमाह होगी।